

25/9/24

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग
अधिरूचना

11

संख्या Shram(A)4-1/2024

तारीख

शिमला-2
1. दृष्टि

23.9.2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि कृषि के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की श्रावत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिरूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से 400 रूपए प्रतिदिन या 12,000 रूपए प्रतिमास की दर से संशोधित करते हैं-

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षाओं की मजदूरी शिक्षा अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मानानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है, वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक की बढ़ोतरी/वृद्धि लागू होगी।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी -

- (i) अकुशल: अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्लित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है।
- अतः उनके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बाबु ईश्वरी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

23.09.2024

संख्या Shram(A)4-1/2024

तारीख

शिमला-2

1. समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
2. अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
4. वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5. वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
6. निदेशक लेबर ज्युरो भारत सरकार शिमला-4।
7. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
8. समायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या &E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

23.04.2024

2. सड़कों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण सक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (कशिंग)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सड़कों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण सक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/(कशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अंतर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी में बढौलरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

संशोधित
दैनिक मजदूरी
मासिक

अकुशल कर्मकार:

रुपए
रुपए

गिशाती/विमनी क्लीनर/चीकीदार/डिस्टेंपरर ग्रेड-11/ गलेजियर/पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर/रोक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/ बिटुमन के लिए स्प्रे मैन/पाइप लाईन मैन /इलेक्ट्रिकल कुली /सिक्वोरिटी-गार्ड /बेलदार/ क्लीनर ट्रेक्टर एवं रोड रोलर व कंकरीट मिक्सर/ मजदूर/ सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय / पीअन(चपरासी)/ ड्रेसर / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर / बॉय हैल्पर (0 से 5 साल) /खलासी (0 से 3 साल) / विल डिस्ट्रीब्यूटर/ मक्कर ।

रुपए
रुपए

अर्धकुशल कर्मकार:

कारपेन्टर ग्रेड-11/ मैसन ग्रेड-11 / स्युअर मैन / ब्लैक स्मिथ ग्रेड-11 / सेनिटरी फिटर ग्रेड-11 / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन रोडज/ केन-मैन/बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ (बोट मैन) / केन-मैन / डिस्टेंपरर ग्रेड-1/फिटर ग्रेड-11 फालोर-पालिशर/ स्टोन ड्रेसर /माली / वॉल-सिंकर / वहाइट-वाशर/ वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड-11/ टर्नर-ग्रेड- -11 / पाइप फिटर ग्रेड-11 / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन / सहायक वॉलडर / सहायक टर्नर/ बैटरी चार्जर / ड्रेसर (अर्हित/अनुभवी) / हेमरमैन/कुक / वल्कनाईजर/नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रोली ऑपरेटर / एटैन्डेन्ट (स्टोर आफिस)/मैकेनिकल एटैन्डेन्ट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन / हैल्पर (5 साल और इससे अधिक)/ आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड-वाचमैन / सहायक-लैबलर / खलासी (3 से 8 साल) / स्टोन-ड्रेसर / पम्प-एटैन्डेन्ट /ऑटो इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-11 / गार्डनर / गेज-रीडर / सहायक लैव एटैन्डेन्ट /ऑटो इलेक्ट्रिशियन / मोटर-मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट/ स्टोन-डेशर स्टोन-ब्रेकर / राक कैरियर ब्रेकर / स्टोन-क्रेशर

½ इंच से 2 इंच
2372 रुपए प्रति सी घन फुट
1 इंच से 1¼ इंच रुपये 2646 रुपए प्रति
सी घन फुट

कुशल कामगार:

रु.
रु.

कारपेन्टर ग्रेड- 1/ मैसन ग्रेड- 1/ ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड-1/अप-होलसल्टर ग्रेड- 1 / सहायक पम्प ऑपरेटर / पम्प ऑपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन ग्रेड-11 / जल आपूर्तिफिटर/ कारपेन्टरग्रेड- 11 / काम्प्रेसर ऑपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड- 1/दर्जी या टेलर ग्रेड-11 / क्रशर ड्राइवर/ अलकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रेसर / पलम्बर ग्रेड-1 / पाइप फिटर ग्रेड-1/ऑटो ड्राइवर / सहायक मैकेनिक / मिक्सर ड्राइवर

464 13,920

Am

/ मिक्सर-आपरेटर / सरचनात्मक फिटर ग्रेड—II / वर्कशाप फिटर / जनरेटर आपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / कशिंग प्लांट फिटर / (बी.) प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शेपर / आटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रीजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर-आपरेटर / शाफ्ट माइनर / कोचरिंग आपरेटर / डोजर आपरेटर / रोकलेन आपरेटर / सकेपर-आपरेटर / लोडर आपरेटर / क्रेन-आपरेटर / युकलिड-आपरेटर / वैगन ड्रिलआपरेटर / बोरिंग-आपरेटर / एस.एल.डी. क्रेन आपरेटर / (बी.) प्लांट-आपरेटर / आइस प्लांट आपरेटर या वेल्डर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ / ट्रेक्शन बैटरी चार्जर / लाइनमैन टेलीफोन आपरेटर/खलासी/जमादार / वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर / विन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर / मिलर / क्लाइमबर / मोल्डर / लेवेलरज सॉ मिल कटर/केबल जाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड—II / खलासी (8 साल से अधिक) / ट्रेसर आपरेटर / ई.एम.ई. / ड्राइवर / कम्प्रेसर / रीकर शोवेल आपरेटर / स्नो कटर आपरेटर / लोको-आपरेटर/ गलेजड-टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क-मिस्त्री / मोटर-मेट / ट्रेक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी.जी.सेट आपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड—III.

उच्च कुशल

	रु.	रु.
केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड— I / चार्ज मैन ग्रेड—I / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड—I / टर्नर ग्रेड—I / मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड—I / सर्वेयर / ड्राफ्टसमैन / सहायक फोरमैन / मशीनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राइवर/ वायरमैन / आटो इलेक्ट्रिशियन/ इलेक्ट्रिशियन / कैमिकल एनालाइजर ।	553	16,590

लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ:

	रुपर	रु.
विद्युत टायर इन्सपेक्टर / रोड इन्सपेक्टर / वर्क इन्सपेक्टर / स्टोर-कीपर / स्टोर-गुशी / सुपरवाइजर / मीटर-रीडर / लैजर बुकिंग क्लर्क / बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग क्लर्क / पटवारी / कम्प्लेंट एटैन्डेन्ट / फैसे-प्रिन्टर / ड्राइवर (जीप/ कार/ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपेक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टेनोग्राफर ।	464	13,920

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अ्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्गित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणधीन हाईड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणधीन हाईड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्लित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के

Am

उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका वासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

23.09.2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 अमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

23.09.2024

3. लोक मोटर परिवहन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "लोक मोटर परिवहन" के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों व अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उभ्रीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

आत. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्गित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ):

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी	400 रुपए प्रतिदिन	12000 रुपए प्रतिमास
(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल)	400 रुपए प्रतिदिन	12000 रुपए प्रतिमास
(ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है।		

अर्ध-कुशल

415 रुपए प्रतिदिन

12450 रुपए प्रतिमास

1. सहायक इलेक्ट्रिशियन
2. सहायक मकैनिक
3. सहायक फिटर
4. सहायक ब्लैक स्मिथ
5. सहायक कारपेंटर
6. सहायक वैल्डर
7. सहायक टर्नर
8. सहायक चोरिंग बारमैन
9. सहायक मशीनिस्ट
10. सहायक कुशन-मेकर
11. सहायक बोल्टकेनाइजर
12. सहायक पेंटर
13. सहायक अपहोलस्टर
14. सहायक टायरमैन
15. सहायक स्प्रेमैन
16. सहायक इलेक्ट्रिशियन मकैनिक
17. सहायक रिट्टीडर
18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई का सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिबीक्षा अवधि हो और जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो
19. सहायक मोल्डर।

Am

कुशल:-

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, टायरमैन स्प्रे पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मकैनिक, सीट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, । वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आईटीआई सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परीक्षा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं ।

रु 453 प्रतिदिन या
रु. 13,590 प्रतिमास

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ

हेड मकैनिक, कारबोरेटर / हेड इलेक्ट्रिशियन / मैरेज सुपर वाइजर।

रु0 503 प्रतिदिन या
रु. 15090 प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

ग्रुप -ए :

आउट एजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे बुक-राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोर) लैजर कीपर, पेट्रोल पम्प अटेंडेन्ट ।

रु0 453 प्रतिदिन या
रु. 13590 प्रतिमास

ग्रुप-बी:

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक ।

रु 477 प्रतिदिन या
रु. 14310 प्रतिमास

ग्रुप-सी:

हेड एसिस्टेंट / हेड-क्लर्क, ऑडिटर / हेड-कैशियर ।

रु0 562 प्रतिदिन
रु. 16860 प्रतिमास

रनिंग-स्टाफ:

1 ड्राइवर

रु0 508 प्रतिदिन
रु.15240 प्रतिमास

2 कन्डक्टर

रु0 464 प्रतिदिन
रु. 13920 प्रतिमास

3 क्लीनर कम कन्डक्टर

रु0 434 प्रतिदिन
रु. 13020 प्रतिमास

4 पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क

रु0 278 प्रतिदिन
रु. 8340 प्रतिमास

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ीतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्लित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीधे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु इंगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

23.9.2024

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

23.09.2024

4. दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी को न्यूनतम दर 01.04.2024 से संशोधित किया जाए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी,

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मंशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारियों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय, और उपलब्ध नहीं करवाई गई संयुक्त आवास, सुविधा है उपलब्ध करवाई गई है

कुशल :

हेल्पर / शॉप-एसिस्टेंट / पल्लेदार / चौकीदार / घपड़ासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर / पैकर / मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मैसेंजर / ब्लाकरूम अटेंडेंट / पोर्टर/गिरती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो अकुशल कार्य कर रहा हो ।

रु० 400 प्रतिदिन
रुपए 12000 मासिक

रुपए 371 प्रतिदिन
रुपए 11130 मासिक

अर्धकुशल :

हैंडपोर्टर/ पैटरीमैन / काफी टीमेकर / चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर (सिनेमा)/सहायक लाइनमैन/ सहायक -आपरेटर/वाइंडर एसीस्टेंट / बिल-कलैक्टर/कनवैसर/कुक/असिस्टेंट-हलवाई/ बुक-बाइंडर/स्टीचर /रुलिंग-कटिंग औव्शनर/ माली/ सीयरमैन/ होटल-गाइड / सहायक मिन्त्री / सहायक-फिटर / सहायक-टर्नर / सहायक/वैल्डर सहायक-इलेक्ट्रिशियन / सहायक-वैल्डर / सहायक-सेल्जमैन / सहायक-बारबर / धोबी / प्रैसमैन / बॉयलर-मैन / फिल्म-रिवाइंडर/वेटर/ वेयरर/ एसिस्टेंट रेडियो मर्केनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर / पकौडा और चना मेकर / कलर्क/(नॉन मेट्रिक/ सहायक स्टोर कीपर/ डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक-मशीनमैन/ इनबवायरी अटेंडेंट / टेलीफोन अटेंडेंट / 'आई.टी.आई प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट धारक ।

रु० 423 प्रतिदिन तथा रु० 12690 प्रतिमाह
रु० 413 प्रतिदिन तथा रु० 12390 प्रतिमाह

कुशल



ब्लैक स्मिथ / टिनस्मिथ / वाचमेकर / रेडियो मर्केनिक / कारपेंटर / पलम्बर / ड्राइवर / सहायक टेलर/कटर(टेलरिंग)/ स्टुवार्ड / जनरल मर्केनिक/ हलवाई कुक/ कन्फैक्शनर / बेकर/ बटलर/फिटर / ड्राफ्ट्समैन / टेलीफोन-ओपरेटर / कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ / शू-मेकर / शाल कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन / ड्राइवलीनर / ड्रायर / बारबर / रेगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट / वेल्डर / मोल्डर / कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिकुलेट) / मुनोम / रिसेपशनिस्ट / वेटर/ वियरर स्टोर-कीपर / हैड वेटर / हैड-वेयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) / लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों ।

रु० 464 प्रतिदिन रुपए 427 प्रतिदिन
रु०13920 मासिक रुपए 12810 मासिक

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / लेखाकार / मुख्य खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मर्केनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमेन / सुपरवाइजर/ टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

रु० 483 प्रतिदिन
रु०14490 मासिक

रु० 447 प्रतिदिन
रु० 13410 मासिक

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अयस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ातरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्बलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

Am

- (iv) उच्च-कुशल उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

23.08.2024

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग
अधिसूचना

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

22.04, 2024

5. वानिकी उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	न्यूनतम मजदूरी मासिक
1 अकुशल कर्मकार वृक्षों का गिराना	रुपए 400	रुपए 12000
1 लेबर (छांगी)	रुपए 423	रुपए 12690
2 फ़ैलर (गिरानी)	रुपए 409	रुपए 12270
2 लागिंग एण्ड साइंग टिम्बर पासिंग सहित		
1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 409	रुपए 12270
2. साघर (घिरानी)	रुपए 503	रुपए 15090
3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 473	रुपए 14190
3 दुलान, ढेरी लगाना और भारिरीक श्रम द्वारा इमारती लकड़ी का हस्तांतरण:		
1. दुलाई के लिए मजदूर।	रुपए 409	रुपए 12270
2. इमारती लकड़ी को लादने और उतारने के लिए मजदूर।	रुपए 409	रुपए 12270
4 रण्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की दुलाई:		
1. स्टेन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	रुपए 503	रुपए 15090
2. स्टेन मिस्त्री	रुपए 473	रुपए 14190
5 पक्की नाली, (वॉटर स्लाइड), पत्थरू (ड्राई स्लाइड), नाला बहान और दरिया बहान और (रिवर फ्लोटिंग) द्वारा दुलाई:		
1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 539	रुपए 16170
2. तारू	रुपए 517	रुपए 15510
3. असिसटेंट मिस्त्री / (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 483	रुपए 14490
4. दरियामैन	रुपए 517	रुपए 15510
5. घालू	रुपए 440	रुपए 13200
6. जमादार	रुपए 440	रुपए 13200
6 यंत्रिकृत लोगिंग और लकड़ी की निकासी:		
1. सर्वेयर	रुपए 506	रुपए 15180
2. स्काई लाइन ऑपरेटर	रुपए 473	रुपए 14190
3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 443	रुपए 13290
4. कम्प्रेसर ड्राइवर	रुपए 443	रुपए 13290
7 क्लैरिकल स्टाफ :		
1. मैनेजर	रुपए 583	रुपए 17490

	2. एकाउन्टेंट	रुपए 449	रुपए 13470
	3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 409	रुपए 12270
8	सॉ मिल वर्कर :		
	1. बँड सॉ मिस्त्री	रुपए 473	रुपए 14190
	2. सुपरवाइजर	रुपए 467	रुपए 14010
	3. हँड मिस्त्री	रुपए 473	रुपए 14190
	4. बॉयलर ड्राइवर	रुपए 473	रुपए 14190
	5. एसिसटेंट मिस्त्री	रुपए 415	रुपए 12450
	6. पलेनर मिस्त्री	रुपए 415	रुपए 12450
	7. हैल्पर	रुपए 409	रुपए 12270
	8. कटर मैन	रुपए 409	रुपए 12270
9	कत्था निकासी :		
	1. फ़ैलर तथा डिप्पर	रुपए 409	रुपए 12270
	2. कत्था सुपरवाइजर/कत्था प्रीसेसर	रुपए 409	रुपए 12270

उच्च कुशल

वॉयलर एटैम्प्ट (प्रथम श्रेणी)
ओवरसियर, हेडफोस्मैन

रुपए 553 दैनिक रुपए 16590 मासिक

टिप्पणी:-

- 1 एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
 - 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
 - 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
 - 4 यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
 - 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ीतरी लागू होगी।
- अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्लित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विद्यारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

42

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

13

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार


संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

23-09-2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।


(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख: शिमला-2

23.04.2024

8. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रासायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए,

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-11 तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी,

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ाव को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित न्यूनतम दरें

अकुशल:

दैनिक
रुपए 400

मासिक
रुपए 12000

अर्धकुशल:

दैनिक
रुपए

मासिक
रुपए

एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, एसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिसटेंट-कापरमैन, सी-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कल्टीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-1, मशीन लेबलर, सलेक्टर, कटर-कम-मार्किट सैलर, अम्पुलर, हेगमैन, आई.टी.आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।

413

12390

कुशल:

दैनिक

मासिक

साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिसटेंट-फोरमैन, हैंड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड-1, वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन, ईजन ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन, एसिसटेंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर/क्लर्क (मेट्रिक), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर। आई0टी0आई0 प्रमाण (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं।

रुपए

रुपए

464

13920

उच्च-कुशल:

दैनिक

मासिक

बॉयलर अटेंडेंट (प्रथम श्रेणी), ओवर सीयर, हैंड फोरमैन।

रुपए

रुपए

553

16590

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।

3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके सामने अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

23/09, 2024

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख: शिमला-2

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

22.09.2024

7. इंजीनियरिंग उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल	दैनिक रूप	मासिक रूप
	400	12000
अर्धकुशल:		
टेपर ग्रेड-III, टर्नर ग्रेड- III, ड्रिलर ग्रेड- III, रोमर ग्रेड- III, शेपर मैन ग्रेड-III, मशीनमैन, मशीनिस्ट/ आपरेटर ग्रेड-III, ब्रजर ग्रेड- III, हैंड स्पीनिंग बाइंडर/ लाइनर ग्रेड- III, प्रैस आपरेटर ग्रेड- III, स्प्रै पैन्टर ग्रेड- III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड- III, असेम्बलर ग्रेड- III, कोबलर, स्वर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड- III, मैटिरियल चैकर, फ्रेम फिटर, नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर, इलेक्ट्रोप्लेटर ग्रेड- III, मोपर ग्रेड- III, ग्राइंडर ग्रेड- III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैंड-मैकेनिक, आपरेटर ग्रेड-III, थ्रेड/ रोलर आपरेटर ग्रेड- III, बुक स्क्र्यू मशीन आपरेटर ग्रेड- III, फीडर ग्रेड- III, डाइमेकर ग्रेड- III, वैल्डर ग्रेड- III, टिनस्मिथ ग्रेड- III, पाइपरीडर, हेमरमैन ग्रेड- III, इलेक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड- III, वाउचर इन्स्पेक्टर ग्रेड- III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड III, ऑयलमैन।	रूपए 413	रूपए 12390
कुशल:		
टेपर ग्रेड- II, टर्नर ग्रेड- II, ड्रिलर ग्रेड- II, शेपर ग्रेड- II, शेपर मैन ग्रेड- II, स्लाटरमैन ग्रेड- II, मैकेनिस्ट आपरेटर/ब्रजर ग्रेड- II, लाईनर ग्रेड- II, स्प्रै पैन्टर ग्रेड- II, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड- II, प्रैस आपरेटर ग्रेड- II, असेम्बलर ग्रेड- II, टेलर ग्रेड- II, इलेक्ट्रोप्लेटर ग्रेड- II, मोपर ग्रेड- II, ग्राइंडर ग्रेड- II, हैंडमशीन आपरेटर ग्रेड- II, थ्रेड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड- II, बुक स्क्र्यू मशीन आपरेटर ग्रेड- II, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड- II, फिटर ग्रेड- II, कारपेंटर /पैट रन मेकर ग्रेड- II, डाइमेकर ग्रेड - II, साइस्टर ग्रेड- II, वैल्डर ग्रेड- II, टिनस्मिथ ग्रेड- II, हेमरमैन ग्रेड- II, ब्लैकस्मिथ ग्रेड- II, टूलसैटर ग्रेड- II, इलेक्ट्रिकल लाईनमैन ग्रेड- II, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड- II, आरमेचर वाईडर और कॉईल वाईडर ग्रेड- II, केबल ज्वाइंटर ग्रेड- II, वाउचर इन्स्पेक्टर ग्रेड- II, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड- II, मोल्डर ग्रेड- II, सुपरवाइजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है।	रूपए 464	रूपए 13920
उच्च-कुशल:-		
टर्नर ग्रेड- I, ग्राइंडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड- I, शेपर मैन ग्रेड- I, स्लाटरमैन ग्रेड- I, मिलर ग्रेड- I, इलेक्ट्रोप्लेटर ग्रेड- I, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड- I, फिटर ग्रेड- I, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड- I, डाइमेकर ग्रेड- I, एन्वोबर ग्रेड- I, ब्लैकस्मिथ ग्रेड- I, डाईसैटर ग्रेड- I, टूल सैटर ग्रेड- I, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड- I	रूपए 553	रूपए 16590

Am

कैंशिवर (मेट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमेन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर।

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
 2. शिक्षाओं की मजदूरी, शिक्षा अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ीतरी लागू होगी।
अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-
- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
 - (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता है जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीधे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
 - (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विद्यारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
 - (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

23.09.2024

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गाई फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

22.04.2024

8.चाय बागान (टी प्लांटेशन)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि 'चाय बागान (टी प्लांटेशन)' के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की श्रावत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी में बढाव देना को अनुमति दी गई थी और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित न्यूनतम मजदूरी

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाड़ने, स्त्रे करने, खाद देने, छायाकरण (शेड लापिंग) के लिए, निराई, काट-छांट करने, गुडाई करने, तुडाई आदि के कार्यों अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित।

रूप	रूप
400 दैनिक	12000
	मासिक

ए-ग्रेड पत्तियां-यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 29 रूपए प्रतिकिलो, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

बी ग्रेड पत्तियां-यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 22 रूपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेड पत्तियां-यदि पत्तियों का तुडान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है/तोड़ती है तो उसे 17 रूपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को कमशः चाय पत्तियों के -ए, बी व सी ग्रेड के लिए 29 रूपए, 22 रूपए और 17 रूपए प्रति किलो की दर से मिलेंगे।

अर्द्धकुशल:

चाय कारखाने और चाय पौधारोपण में लगाए गए कर्मकारों को 407 रूपए प्रतिदिन, 12210 रूपए प्रतिमास मिलेंगे।

कारखाना:

इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, शिफ्टिंग मजदूर, फर्मटिंग रूम कर्मकार, टी ब्याएज, सार्टज, टी-मेकर्स टाइम कीपर तथा कैरियर (आली) शामिल हैं।

रूपए 400 दैनिक और
रूपए 12000 मासिक

प्लांटेशन:

क्लीनर, असिस्टेंट क्लीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर, माली तथा मेट भी शामिल होंगे।

रूपए 400 रूपए दैनिक
रूपए 12000 मासिक

वैलरिक्ल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ

- लेखाकार रूपए 611 प्रतिदिन रूपए 18330 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास।
- लिपिक रूपए 464 प्रतिदिन रूपए 13920 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास।
- मुन्शी रूपए 487 प्रतिदिन रूपए 14610 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।
- चपरासी / चौकीदार / चौधरी रूपए 407 प्रतिदिन रूपए 12210 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।

Am

	दैनिक	मासिक
5. कम्पाउन्डर	रुपए 567	रुपए 17010
6. ड्राइवर (जीप/कार/ट्रैक्टर)	रुपए 508	रुपए 15240
7. मकैनिक	रुपए 571	रुपए 17130
8. असिस्टेंट मकैनिक	रुपए 506	रुपए 15180
9. इलेक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड -1	रुपए 571	रुपए 17130
10. इलेक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड -11	रुपए 506	रुपए 15180

टिप्पणी

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यवस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिफ्टों की मजदूरी, शिफ्ट अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/ की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्बलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उत्तको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल अर्द्ध-कुशल कर्मकार यह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता है जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा,

धियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

23.06.2024

संख्या: Shram(A)14-1/2024

तारीख:

शिमला-2

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 बरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 बरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

23.09.2024

9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-ट में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापना।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम, 1948" की धारा-2 के खण्ड-ट में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए,

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी,

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रुपए 400 प्रतिदिन या रुपए 12000 प्रतिमास
अर्द्ध-कुशल	रुपए 412 प्रतिदिन या रुपए 12360 प्रतिमास
कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ)	रुपए 464 प्रतिदिन या रुपए 13920 प्रतिमास
उच्च कुशल	रुपए 553 प्रतिदिन या रुपए 16590 प्रतिमास

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजोविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल-से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।



- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

23.09.2024

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग
अधिसूचना

(22)

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख: शिमला-2
10.होटल और रेस्टोरेंट

23.04, 2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रेस्टोरेंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां संयुक्त आवास
उपलब्ध नहीं करवाई और खाना, चाय आदि की
गई है प्रसुविधा उपलब्ध करवाई
गई है

अकुशल 1.

2.

3.

हेल्पर / चौकीदार / चपरासी / स्वीपर / मसालघी / गेटमैन /
वाटरमैन / मसँजर / क्लेकरूम अटेंडेंट / पोटर / भिस्ती /
बेलदार / फायरमैन
/ पांढी / पोस्टर मैन या कोई अन्य कामकार जो अकुशल श्रेणी
का कार्य करता हो ।

रुपए 400 दैनिक

रुपए 371 दैनिक

रुपए 12000

रुपए 11130

मासिक

मासिक

अर्धकुशल कर्मकार

पैदीमैन / कॉफी-टी मेकर / चपातीमैन / सहायक बेकर /
कुक / सहायक हलघाई / बुक बाईंडर / सटिघर / रूलिंग
कटिंग / ऑक्शनर / माली / होटल गाईड / असिस्टेंट मिस्त्री
/ असिस्टेंट फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर / असिस्टेंट
वैल्डर / असिस्टेंट ईलैक्ट्रिशियन / असिस्टेंट सेल्जमैन / असिस्टेंट
ब्राबर / धोबी / प्रेसमैन / बॉयलरमैन / फिल्म रिवाइंडर
/ वाटरवीअरर / असिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / व्हाइट
वॉशर / पकोडा और चना मेकर / कलर्क (नॉनमैट्रिक) / असिस्टेंट
स्टोर कीपर, असिस्टेंट मशीनमैन / इनक्वायरी एटेंडन्ट /
टेलीफोन एटेंडन्ट / आई0टी0आई0 प्रमाण धारक, जो अन्य ट्रेड में
कार्यरत है ।

रुपए 423 प्रतिदिन

रुपए 388 प्रतिदिन

रुपए 12690

रुपए 11640

मासिक

मासिक

कुशल कर्मकार

ड्राइवर / हलघाई / कुक / कन्फैक्शनर / बेकर /
स्टीवार्ड / बटलर / ड्राफ्ट्समैन / टेलीफोन ऑपरेटर /
रिसेपशनिस्ट / वेटर / वेयरर / स्टोर कीपर / हेड वेटर
/ हेड वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई0टी0आई0 प्रमाण
धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

रुपए 464 दैनिक

रुपए 427 दैनिक

रु० 13920 मासिक

3, 12810 मासिक

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / बलक (ग्रेजुएट) / अकाउंटेंट / हेड रु. 483 दैनिक
खजानची / हेड-कुक / हेड-बटलर / हेड-बेकर / रु. 447 दैनिक
हेड-कन्फेक्शनर / हेड-मकेनिक / इलेक्ट्रीशियन / रु. 13410 मासिक
फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) :

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और ज्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती बन्म (पीस रबके) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों से किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ीतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्दलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न यस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीधे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्त्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु इंगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

21.04.2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

अवर सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग
अधिसूचना

24

संख्या Shram(A)4-1/2024

तारीख

गणना-2

23.04.2024

11. निजी शैक्षणिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारी के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए,

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-11 तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होंगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार
अर्द्ध-कुशल
कुशल
उच्च कुशल

रु० 400 प्रतिदिन या रु० 12000 प्रतिमाह
रु० 423 प्रतिदिन या रु० 12690 प्रतिमाह
रु० 464 प्रतिदिन या रु० 13920 प्रतिमाह
रु० 483 प्रतिदिन या रु० 14490 प्रतिमाह

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और ब्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिशुओं की मजदूरी, शिशु अधिनियम, 1981(1931 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित ही किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्ण अनुभव अपेक्षित नहीं है; अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों का करने तक ही सीमित रहेगा।



(iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु इंग्टी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

23.09, 2024

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख

शुक्रवार-5

23.09.2024

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए,

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 कं साथ पठित धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2022 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार

	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक, पम्प अटैन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक, ट्रैनर का सहायक, इलेक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलेक्ट्रीशियन का सहायक, वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्प्रेसर अटैन्डेन्ट, जनरेटर अटैन्डेन्ट, टीएम अटैन्डेन्ट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोरेट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गेज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, क्लीनर -कम-बेलदार, वॉशर मैन, वाशर मेड, ऑफिस बॉय, कले क्लीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कन्डीशनिंग प्लांट सहायक, सुपरवाइजर का सहायक, मैस सहायक, सफाई कर्मचारी ।	रु.400	रु.12000

अर्ध-कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ओटो इलेक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेंटर, कनिष्ठ फलम्बर, कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिव्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटैन्डेन्ट, जनरेटर अटैन्डेन्ट, लोकोमोटिव अटैन्डेन्ट, कन्क्रीट मिक्चर अटैन्डेन्ट, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोरेटरी सहायक, गेज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल इंजन फिटर, कनिष्ठ	रु.425	रु. 12750
---	--------	-----------

Am

पाईप फिटर, दूरभाष अटैण्डेंट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटैण्डेंट कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रैपर पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कम्प्लेंट अटैण्डेंट, कनिष्ठ इलेक्ट्रिशियन, माली ।

कुशल कर्मकार :-

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बाघेंग प्लाट ऑपरेटर, कृषिग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी केन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जनेरेटर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोकोमोटिव ऑपरेटर, ट्रेनलॉक/जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल गैन, फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलेक्ट्रिशियन, पेन्टर, डेन्टर, मेसन, पलम्वर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए0सी0 प्लाट ऑपरेटर, मेरजो ऑपरेटर, बर्क इन्सपेक्टर, सुपरवाइजर, क्रैम इन्चार्ज, नॉन टेकनीकल सुपरवाइजर, (माईनिंग ब्लास्टिंग) चालक, मोबाईल केन ऑपरेटर, बकोड ऑपरेटर, हाइड्रो कन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रैप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, ग्रेडिंग पम्प ऑपरेटर, मोटर बाईन्डर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर, स्टोर कीपर, लेखा कलर्क, कलर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), और धोबी ।

रु.464

रु.13920

(4) उच्च- कुशल कर्मकार :-

वरिष्ठ केन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ड्रिलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अथि मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मैकेनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलेक्ट्रिशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलेक्ट्रिशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ वेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक, (भारी परिवहन यान), टावर केन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सपर्ट, केबल ज्वाइंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लैबोरेटरी एसिस्टेंट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउंटेंट, खलासी (6 वर्ष से अधिक का अनुभव) ।

रु.553

रु.16590

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. सुरगो के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ीतरी अनुज्ञेय होगी ।
6. गैर जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ीतरी लागू होगी ।
7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ीतरी लागू होगी । जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत बढ़ीतरी लागू होगी ।

Am

	कामगार का तम	मजदूरी की न्यूनतम दर (प्रतिदिन) (रु०)	गैर-आदिवासी क्षेत्रों में स्थिता निर्माणयोग्य ढाल किन्तु परियोजनाओं में 25% गृह की शरीरकार्यता (प्रतिदिन) (रु०)	कॉलम संख्या 3-4 के अनुसार कुल मजदूरी बनी (प्रतिदिन) (रु०)	कॉलम संख्या 5 के अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दरों के ऊपर 20% सुरग भत्ता की स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रु०)	न्यूनतम मजदूरी की कुल स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रु०)
(क)	अकुशल	400	100	500	100	500
(ख)	अर्ध-कुशल	425	106	531	106	637
(ग)	कुशल	464	116	580	116	696
(घ)	अत्यधिक-कुशल	553	138	691	138	829

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- अकुशल:-** अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्बलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या दायीं उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजगार के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजगार के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- कुशल:** कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु इंगटी

सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

22.04.2024

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

- समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख

शिमला-2

23.9. 2024

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह आज है कि "फार्मास्यूटिकल उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी को न्यूनतम दर से 01.04.2024 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2016-पी-II तारीख 29.04.2023 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
पैकिंग हेल्पर, मशीन हेल्पर, लेबोरेटरी हेल्पर, स्टोर हेल्पर, हाउस कीपींग हेल्पर, ब्रपरासी, ।	₹.400	₹.12000
अर्ध-कुशल कर्मकार :- तकनीशियन (डी० फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स (आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिक्योरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्प्लेन्ट अटेंडेंट, ।	₹.413	₹.12390

कुशल कर्मकार :-

ऑफिसर (पी फार्मा), टैक्नीकल सुपरवाइजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।	₹.484	₹.13920
उच्च कुशल कर्मकार :- सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्प्लोई, मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव, बी० फार्मा, एकाउन्टेन्ट, बीएससी केमिस्ट, एमएससी केमिस्ट और स्टेनो ग्राफर ।	₹.553	₹.16590

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संवत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी को न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

Am

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वर्तित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या दृष्टांत उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है; अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीपे गए कर्तव्यों या उसके सालोप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से भालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं दिस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार


22.09.2024

संख्या Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।


(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)-4-1/2024

तारीख

शिमला-2

23.04. 2024

14. अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए.

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-11 तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी.

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन,चाय और आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
----------------------	--	---

अकुशल कर्मकार:-

हेल्पर, क्लीनर, चौकीदार, / वॉच मैन, चपरासी, रूम ब्याय आफिस ब्याय और मसालची।	रु. 400 दैनिक रु.12000 मासिक	रु.371 रु.11130 मासिक
---	---------------------------------	--------------------------

अर्ध- कुशल कर्मकार :-

क्लीनिक अटेन्डेंट, असीसटेन्ट लेबोरेटरी तकनीशियन, गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर असीसटेन्ट, असीसटेन्ट स्टोर कीपर असीसटेन्ट स्टोर मुन्ची, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट, वार्ड ब्याय /वार्ड अटेन्डेंट (0 से 3 वर्ष सर्विस)	रु.423 दैनिक रु.12690 मासिक	रु.387 दैनिक रु.11610 मासिक
--	--------------------------------	--------------------------------

कुशल कर्मकार :-

रिसैपमैनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एएनएन, ट्रेड दाई, इलेक्ट्रिशियन, रंडियो ग्राफर,ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डाकंरूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट,चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रेकशनिस्ट,स्टोर कीपर,एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाइजर, कुक और धोबी वार्ड ब्याय (3 वर्ष से ऊपर सर्विस)।	रु. 464 दैनिक रु.13920 मासिक	रु.427 दैनिक रु.12810 मासिक
--	---------------------------------	--------------------------------

(Handwritten signature)

उच्च कुशल कर्मकार-

स्टाफ नर्स, सिवयोरिटी सुपरवाइजर, वरिष्ठ इलेक्ट्रिशियन, वरिष्ठ रु.483 दैनिक
तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियो ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, रु.14490 मासिक
एकाउन्टेन्ट, स्टेनो ग्राफर ।

रु.447 दैनिक
रु.13410 मासिक

32

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिष्टों की मजदूरी, शिष्ट अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीन वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
4. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी का न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ातरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्बलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका नासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार


23.09.2024

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।


(अनुर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख: 15. घरेलू कामगार

शिमला-2

23.09.2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह आज है कि "घरेलू कामगार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मचारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी का न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 2 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मचारों के समस्त प्रवर्गों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मचारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं-

कर्मचारों के प्रवर्ग

जहां ~~का~~ प्रसुविधा जहां भोजन, चाय और उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास सुविधा गई है उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल कर्मकार:-

हेल्पर, आया, क्लीनर, मसालाची, चॉच मैन, वॉशर मैन ।

रु. 400 दैनिक
रु. 12000 मासिक

रु. 338 दैनिक
रु. 10140 मासिक

अर्ध- कुशल कर्मकार :-

सिक्वोरिटी गार्ड, माली ।

रु. 423 दैनिक
रु. 12690 मासिक

रु. 351 दैनिक
रु. 10530 मासिक

कुशल कर्मकार :-

कुक और चालक

रु. 464 दैनिक
रु. 13920 मासिक

रु. 373 मासिक
रु. 11190 मासिक

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रातुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी लागू होगी।
- अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (1) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वहित है, जिसमें कम अनुभव अर्पणित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है

An

परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता है जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की दृष्टि अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीपे गए कर्तव्यों या उसके साक्ष्य अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विश्वसनीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

पियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या Shram(A)-4-1/2024 तारीख शिमला-2

23.09,2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

23.04, 2024

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मचारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी के न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2016-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मचारों के समस्त प्रवर्गों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मचारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम	मजदूरी
अकुशल कर्मकार:-	दैनिक	मासिक
स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमैन।	रु.400	रु.12000
अर्ध-कुशल कर्मकार :-		
वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट।	रु.413	रु.12390
कुशल कर्मकार :-		
चालक, मैसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।	रु.464	रु.13920
उच्च कुशल कर्मकार :-		
कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपेक्टर और स्टैनो ग्राफर।	रु.553	रु. 16590

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
 2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1931 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
 5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी लागू होगी।
- अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (1) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्दलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है

Am

परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसके विभिन्न वस्तुओं या माल से भी पारंगत होना अपेक्षित है।

36

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

अमर सिंह का बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

22.04, 2024

संख्या: Shram(A)4-1/2024 तारीख शिमला-2

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख: शिमला-2
17. सुरक्षा सेवाएं

23.04, 2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-11 तारीख 29.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:-	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
हेल्पर और वॉच मैन ।	रु.400	रु.12000
अर्ध-कुशल कर्मकार:-		
सिक्वोरिटी गार्ड, एसिसटैन्ट स्टोरकीपर, एसिसटैन्ट स्टोर भुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट।	रु.413	रु.12390
कुशल कर्मकार :-		
सिक्वोरिटी सुपरवाइजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।	रु.464	रु.13920
उच्च कुशल कर्मकार :-		
सिक्वोरिटी ऑफिसर, सिक्वोरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट	रु.553	रु. 16590

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और ब्यस्क या अब्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढौतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी को न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत बढौतरी लागू होगी।

Handwritten signature

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

38

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वहित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या बहापि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या मान से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

22.09.2024

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख: शिमला-2

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख:

2024-2

27.04.2024

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान/ धर्मशालाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि 'मन्दिर और धार्मिक स्थान/ धर्मशालाएं' के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य वर्गों को दक्षत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए.

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ संशोधित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-11 तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 का हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त वर्गों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पृथ्वी अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है जहां भोजन, घास और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल कर्मकार :-

चपरासी, मसालची, ऑफिस ब्याय और बेलदार ।

रु. 400 दैनिक

रु.371 दैनिक

रु. 12000 मासिक

रु.11130 मासिक

अर्ध-कुशल कर्मकार :

चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्याय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, टेम्पल अटेन्डेन्ट, भोग रूम अटेन्डेन्ट, हॉल अटेन्डेन्ट, सेवादार, सिन्सोरिटी गार्ड, माली, एसिस्टेन्ट स्टोरकीपर, एसिस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटेन्डेन्ट।

रु.423 दैनिक

रु.413 दैनिक

रु.12690 मासिक

रु.12390 मासिक

कुशल कर्मकार:-

परिष्क गेस्ट अटेन्डेन्ट, रिसेपशनिस्ट, पुजारी, पण्डित, कुक, मौलवी, ग्रन्थी पादरी, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

रु.464 दैनिक

रु. 427 दैनिक

रु.13920 मासिक

रु.12810 मासिक

उच्च कुशल कर्मकार:-

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन गायक, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट,

रु.483 दैनिक

रु.447 दैनिक

रु.14490 मासिक

रु.13410 मासिक

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अब्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिशुओं की मजदूरी, शिशु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
2. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को शत्रानुपाती काम (पीन वर्क) के अन्वय पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस वर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

Am

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग का विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वर्तित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है जो यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विद्यारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

श्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)-1/2024

तारीख

शिमला-2

23.04.2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 अमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: C&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: Shram(A)4-1/2024

तारीख: शिमला-2

23.04.2024

19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कामगार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि 'टोल टेक्स बैरिअरों' में कार्यरत कामगार के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की न्यूनतम मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01.04.2024 से संशोधित किया जाए।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1940 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी की अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01.04.2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01.04.2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:-	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
घपरासी, ऑफिस ब्याय और मत्तलची ।	₹.400	₹.12000
अर्ध-कुशल कर्मकार :-		
कैश कलेक्टर, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्ची, सिक्योरिटी गार्ड और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट ।	₹.413 प्रतिदिन	₹.12390 प्रतिमाह
कुशल कर्मकार :-		
इलेक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।	₹.464 प्रतिदिन	₹.13920 प्रतिमाह
उच्च कुशल कर्मकार :-		
सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट ।	₹.553 प्रतिदिन	₹.16590 प्रतिमाह

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्काओं की मजदूरी, शिक्का अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उन्नीस प्रकाश की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी को न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल:- अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वर्तित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या वद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है

Am

परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। उक्त कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित बना अपेक्षित है।

(42)

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सीधे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या Shram(A)4-1/2024

तारीख:

शिमला-2

23.01.2024

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 तारीख 17-08-2024 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10 गार्ड फाईल।

(अमर सिंह)

उप सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

No. Shram (A)4-1/2024 NOTIFICATION Dated Shimla-2, the 23.04.2024.

1. AGRICULTURE

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of "Agriculture" may be revised with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the unskilled workers working in the above mentioned Scheduled Employment Rs. 400 per day or Rs. 12,000 per month w.e.f. 01.04.2024.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,


Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.& O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the 23.04.2024

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(2)



(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.04.2024.

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS,
STONE BREAKING & STONE CRUSHING.

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01.04.2024 as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Daily	Monthly
1	2	3
UN-SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Bhisthi/Chimini Cleaner/ Chowkidar/ Distemperer Grade-II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/Pipelinemen/Electrical Coolie/Security Guard/Beldar /Cleaner-Tractor & Road Roller & concrete mixer/Majdoor /Survey Boy/ Watchmen/ Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Messhelpers/ Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker	400	12,000
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith (Boatman)/ Caneman/ Distemperer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant Welder/ Assistant turner/ battery	425	12,750

Charger/ Dresser/(Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/
Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant
(Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man /
Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head
Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump
Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab
Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone
Attendant

(4)

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher 1½
inch to 2 inch = Rs. 2372 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 2646
per 100 cft.

SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter Grade-I/ Upholster Grade-I/Astt. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/ Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/ Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ B. Plant Fitter/ Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclaim Operator/ Scrapper Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ B Plant Operator/ Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/ Traction Battery Charger/ Line Man/) Telephone Operator/ Khalssi / Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi(8 years to above) /Tracer Operator/ E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set Operator/Workshop Forman Grade-II.	464	13,920

HIGHLY SKILLED	Rupees	Rupees
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade- I/ChargemanGrade-I/Workshop Foreman Grade-I/TurnerGrade- I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/ Machinist / Compounder (Qualified) Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/ Chemical Analyser.	553	16,590

Am

Clerical and non Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/ Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint Attendant/ Ferro Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor)/ Clerk/ Mechanical Inspector / Assistant Store Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.	464	13,920

(5)

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas, an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

6

By order,


Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.

23.09.2024

No. Shram (A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.) M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.


(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Public Motor Transport" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01.04.2024 as under:-

General Staff Unskilled

Rs.400 per day, Rs. 12,000 per month

- (a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, porter and Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)
- (c) Workshop Mazdoor without having any experience

Semiskilled

Rs. 415 per day, Rs.12,450 per month

1. Asstt. Electrician
2. Asstt. Mechanic
3. Asstt. Fitter
4. Asstt. Black Smith
5. Asstt. Carpenter
6. Asstt. Welder
7. Asstt. Turner
8. Asstt. Boaring Barman
9. Asstt. Machinist
10. Asstt. Cushion Maker
11. Asstt. Vulcanisor
12. Asst. Painter
13. Asstt. Upholster
14. Asstt. Tyreman
15. Asstt. Sprayman
16. Asstt. Electrician Mechanic
17. Asstt. Retrader
18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
19. Assistant Molders.

Am

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

Rs. 453 per day

or Rs. 13,590 per month.

⑧

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor

Rs. 503 per day or Rs. 15,090 per month.

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:**Group-A**

Out Agent, Out Agene Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

Rs. 453 per day or Rs. 13,590 per month.

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.

Rs. 477 per day or Rs. 14310 per month.

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.

Rs. 562 per day

Rs. 16,860 per month.

RUNNING STAFF

	Per Day	Per month
1.Driver	Rs. 508	Rs. 15,240
2.Conductor	Rs. 464	Rs. 13920
3.Cleaner-cum-Conductor	Rs. 434	Rs. 13020
4.Part-Time Booking Clerk	Rs. 278	Rs. 8340

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adutor non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

(9)

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp. &O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.


No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09,2024

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.


(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Shops & commercial Establishments" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01.04.2024 as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/ Pelledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.	Rs.400 Daily Rs.12000 Monthly.	Rs 371 Daily Rs. 11,130 Monthly
Semi-Skilled	Rupees	Rupees
Head porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/ Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman / Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector /Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher/ Ruffing-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/ Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Assistant Turner/ Assistant/Welder/ Assistant Electrician/ Assistant/Salesman/ Assistant Barbar/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter/ Bearer/ Assistant Radio Machanic/Painter/	Rs.423 Daily. Rs. 12,690 Monthly.	Rs. 413 Daily Rs. 12,390 Monthly

Handwritten signature

WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric/
Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant Machine
man/ Enquiry Attendent/ Telephone Attendent/ ITI
Certificate Holder.

11

Skilled:	Rupees.	Rupees.
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio	Rs.464 Daily.	Rs. 427 Daily
Mechanic/Carpenter/Plumber/Driver/Assistant Tailor/Cutter (Tailoring) /General mechanic/ Halwai/ Cook/ Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/ Draughtsman/TelephoneOperator/ Compounder / Goldsmith./ Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/ Compositor/CinemaOperator/Salesmen/Drycleaner/Dyer/Bar ber/Regular machine man/ machinist/ Welder/Moulder/Cashier/Clerk (matric)Munim/receptionist/ Waiter/ Bearer / Storekeeper/ headwaiter /Head bearer (Western Style Hotels)/Lineman.ITI certificate holder who are working in the same trade.	Rs.13,920 Monthly.	Rs. 12,810 Monthly.

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/	Rs.483 Daily.	Rs. 447 daily
Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter (Tailoring)	Rs.14,490 Monthly	Rs. 13,410 Monthly

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as under:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous

experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.


By order,

Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.

23.08.2024

No Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E (Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.


(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp. &O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024 dated 23.04.2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.04.2024.

5. FORESTRY INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Forestry Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UNSKILLED WORKERS		
1 Felling of trees:	Rs. 400	Rs. 12,000
1.Lopper (Changi)	Rs. 423	Rs. 12,690
2.Feller (Garani)	Rs. 409	Rs. 12,270
2 Logging and sawing including timber passing:		
1.Dresser (Panchani)	Rs. 409	Rs. 12,270
2.Sawyer (Charani)	Rs. 503	Rs. 15,090
3.Blacksmith	Rs. 473	Rs. 14,190
3 Carriage, stacking and timber passing by manual labour:		
1. Mazdoor for carriage	Rs. 409	Rs. 12,270
2. Mazdoor for loading and un loading of timber.	Rs. 409	Rs. 12,270

4 Carriage of timber by Aerial ropeways :

1.Span Mistry-cum-Supervisor	Rs.503	Rs.15,090
2.Span Mistry	Rs. 473	Rs. 14,190

5 Carriage by water slide (pucci Nalli), dry slide (Pathru), Nullah Bhaan and Darya Bahaan (River floting):

1. Mohri-wala Mistry	Rs. 539	Rs. 16,170
2. Taru	Rs. 517	Rs.15,510
3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs. 483	Rs. 14,490
4. Darya-man	Rs. 517	Rs. 15,510
5. Ghalu	Rs. 440	Rs. 13,200
6. Jamadar	Rs. 440	Rs. 13,200

6 Mechanised logging and timber extraction:

1.Surveyor	Rs. 506	Rs. 15,180
2.Ski-line Operator	Rs. 473	Rs. 14,190
3 Truck Driver	Rs. 443	Rs. 13,290
4. Compressor Driver	Rs. 443	Rs. 13,290

7 Clerical Staff:

1.Manager	Rs. 583	Rs. 17,490
2.Accountant	Rs. 449	Rs. 13,470
3.Munshi/ Typist clerk	Rs. 409	Rs. 12,270

8. Saw Mill Workers:

1.Band Saw Mistry		
2.Supervisor	Rs. 473	Rs. 14,190
3.Head Mistry	Rs. 467	Rs. 14,010
4.Boiler Driver	Rs. 473	Rs. 14,190
5.Assistant Mistry	Rs. 473	Rs. 14,190
6.Planner Mistry	Rs. 415	Rs. 12,450
7.Helper	Rs. 415	Rs. 12,450
8.Cutter man	Rs. 409	Rs. 12,270

9 **Katha Extraction:**

1. Feller and Chipper	Rs. 409	Rs. 12,270
2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs. 409	Rs. 12,270

Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= Rs. 553 Daily. Rs. 16,590 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,


Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.

23.09.2024

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.

6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.


(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.06, 2024.

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Chemical & Chemical Products" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 400 Daily. Rs. 12,000 Monthly.
Semi Skilled	
Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant, Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller, Empular, Hageman, ITI Certificate Holder.	Rs. 413 Daily. Rs. 12,390 Monthly.
Skilled	
Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith, Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate holder who are working in the same trade.	Rs. 464 Daily. Rs. 13,920 Monthly.
Highly Skilled	

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (IV) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.

23.04.2024

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Amar Singh)
Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.04, 2024.

7. ENGINEERING INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Engineering Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-Skilled

Rs. 400 Daily or

Rs. 12,000 Monthly.

Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

Rs. 413 Daily or

Rs. 12,390 Monthly.

Skilled

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner

Rs. 464 Daily.

Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

20

Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Rs. 553 Daily.

Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I, Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I, Rs.16,590 Monthly.

Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper Rs. 429 Daily.

Rs.12,870 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,


Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

23.09.2024

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.


Amar Singh

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

No. Shram(A)4-1/2024

NOTIFICATION
Dated Shimla-2, the

23.04, 2024.

8. TEA PLANTATION

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Tea Plantation" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages
Field workers in Tea Plantation employed on plantation up to rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hoeing, pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;	Rs. 400 Daily or Rs. 12,000 Monthly.

A-Grade Leaves -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 29 per kilogram extra as incentive.

B Grade Leaves If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 22 per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves- If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 17 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 29, Rs. 22 Rs. 17 per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. Rs. 407 per day, Rs. 12210 per month

FACTORY:

Include lift Mazdoor, withering Mazdoor, Rs. 400 daily

relling room workers, shifting Mazdoor, Rs. 12,000 Monthly.

Fermenting room workers, tea boys,

Am

sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant, **Rs. 400 daily**

Muharirs etc. who maintain records of a field work **Rs. 12,000 Monthly.**

and also includes sweeper, Mali & Mate.

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

OFFICE STAFF:

1. Accountant	Rs. 611	Rs. 18,330 per month plus free accommodation	
2. Clerks	Rs. 464	Rs. 13,920 per month plus free accommodation	
3. Munshi	Rs. 487	Rs. 14,610 per month plus free benefits as admissible to clerk	
4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary	Rs. 407	Rs. 12,210 per month plus free benefit as admissible.	
		Daily	Monthly
5. Compounder		Rs. 567	Rs. 17010
6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)		Rs. 508	Rs. 15,240
7. Mechanic ,		Rs. 571	Rs. 17,130
8. Assistant Mechanic		Rs. 506	Rs. 15180
9. Electrician-cum- Mechanic Grade-I		Rs. 571	Rs. 17,130
10. Electrician-cum- Mechanic Grade-II		Rs. 506	Rs. 15180

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous

experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) **Semi-skilled:** – A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order,

Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.


No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23-09, 2024

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.


(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.04.2024.

9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN
CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-F-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled Workers	Rs. 400 P.D. or Rs. 12,000 per month
Semi-skilled	Rs. 412 P.D. or Rs. 12,360 per month
Skilled & clerical staff	Rs. 464 P.D. or Rs. 13,920 per month
Highly-Skilled	Rs. 553 P.D. or Rs. 16,590 per month

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** – An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.


No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.04.2024

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI. Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.



Amar Singh

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.04.2024.

10. HOTEL AND RESTAURANTS

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Hotel and Restaurants" may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **01.04.2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. **01.04.2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f **01.04.2024** as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalachi/ Gateman/ Waterman/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/ Bhishti/ Beldar/Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker doing un-skilled job.	Rs. 400 Daily Rs. 12,000 Monthly	Rs. 371 Daily Rs. 11,130 Monthly
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman / Assistant Baker/ Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide /Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner /Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant	Rs. 423 Daily Rs. 12,690 Monthly	Rs. 388 Rs. 11,640 Monthly.

Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi
 Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water
 Bearer /Assistant Radio Mechanic/ Painter
 White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk
 (Non-Matric)/ Assistant Store
 Keeper/Distributor and Assistant Machinman/
 Enquiry Attendant/ Telephone Attendant/ ITI
 certificate holder who are working in the other
 trade.

SKILLED WORKERS :

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/Steward
 d/Butler/Draughtsman/Telephone Operator/Rece
 ptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/Head
 Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel.) ITI
 certificate holder who
 are working in the same trade.

Rupees.	Rupees.
Rs. 464 Daily	Rs. 427 Daily
Rs. 13920 Monthly.	Rs. 12,810 Monthly.

Highly Skilled

Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant
 /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head
 Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/
 Electrician/ Foremen/ Supervisor./ Tailor/Cutter
 (Tailoring)

Rupees.	Rupees.
Rs. 483 Daily	Rs. 447
Rs. 14,490 Monthly.	Rs. 13,410 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

Am

(ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge

of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

29

(iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

23.04.2024

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004. H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.



(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.04.2024.

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "Private Educational Institutes" may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from 01.04.2024 ;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-skilled Workers	Rs. 400 per day or Rs. 12,000 per month
Semi-skilled	Rs. 423 per day or Rs. 12,690 per month
Skilled	Rs. 464 per day or Rs. 13,920 per month
Highly skilled	Rs. 483 per day or Rs 14,490 per month

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act,1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

(i)Unskilled: -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi-skilled: -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(3)

(iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,


Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

23.04, 2024

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.


(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

12. Hydro Power Projects

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Hydro Power Projects" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UN-SKILLED WORKERS :	Rs.	Rs.
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman, Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant	400	12,000

33

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR 425 12,750
 Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior
 Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader
 Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto
 Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior
 Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard,
 Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator
 Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant,
 Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader,
 Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator ,
 Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter,
 Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler,
 Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant
 Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior
 Electrician, Mali

SKILLED WORKERS :

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant 464 13,920
 Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane
 Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator,
 JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambo Operator,
 Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer,
 Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason,
 Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator,
 Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non
 Technical Supervisor(Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator,
 Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator,
 Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter
 Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk,
 Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai(more than 5 years
 Experience) and Dhobi.

HIGHLY SKILLED

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer 553 16,590
 Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator,
 Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator,
 Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant
 Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior
 Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto

Am

Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Joints, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience).

24

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

Sample Calculation of Minimum Rates of Wages is given as below:

	Category of Worker	Minimum Rates of Wages (per day) (Rs.)	Admissibility of 25% increase in Under-Construction Hydro Electric Power Projects Located in Non-Tribal Areas (per day) (Rs.)	Total Wages arrived at as per column no. 3+4 (per day) (Rs.)	Admissibility of 20% Tunnel Allowance over and above the Minimum Rates of Wages as per the column no. 5 (per day) (Rs.)	Total admissibility of Minimum Wages (per day) (Rs.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(A)	Unskilled	400	100	500	100	600
(B)	Semi-Skilled	425	106	531	106	637
(C)	Skilled	464	116	580	116	696
(D)	Highly-Skilled	553	138	691	138	829

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.


By order,

Priyanka Basu Ingty
 Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
 Government of Himachal Pradesh.

23.09.2024

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the
 Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.


 (Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the
 Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.04, 2024.

13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Pharmaceuticals' Industries" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs. 400	Rs. 12,000
Semi Skilled		
Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW-Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 413	Rs. 12,390
Skilled		
Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 464	Rs. 13,920
Highly Skilled:- Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Employee, Medical and Sales Representatives, B.Pharma, Accountant B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist and Stenographer.	Rs. 553	Rs. 16,590

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,


Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.

22.09.2024

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.


(Anar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.09.2024.

14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Hospitals/Nursing Homes & Clinics" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar, Watchman, Peon, Room Boy, Office Boy and Masaichi.	400 Daily 12,000 Monthly.	371 Daily 11,130 Monthly
Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Security Guard Operation Theatre Assistant.	423 Daily.	387 Daily.
Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Ward Boy and Ward Attendant (0-3 Years Experience)	12690 Monthly	11,610 Monthly.
Skilled:	Rs.	Rs.
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai, Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver.	464 Daily 13,920 Monthly	427 Daily 12,810 Monthly.

CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi, Ward Boy and Ward Attendant (above 3 years experience)

39

Highly Skilled	Rs.	Rs.	
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician, Senior Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder, Accountant and Stenographer	483 Daily. 14,490 Monthly	447 Daily 13,410	Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.


No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-

23.09.2024

Am

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

40


(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.04.2024.

15. Domestic Workers

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Domestic Workers" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman and Washer man	400 Daily 12,000 Monthly.	338 Daily. 10,140 Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Security Guard and Mali	423 Daily. 12,690 Monthly	351 Daily, 10,530 Monthly.
Skilled:	Rs.	Rs.
Cook and Driver	464 Daily. 13,920 Monthly	373 Daily 11,190 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.


No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.04.2024

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.


(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.04, 2024.

16. Safai Karamchari Employment

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Safai Karamchari Employment" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled:- Sweeper/Safai Karamchari, Beldar and Cartman,	Rs. 400	Rs. 12,000
Semi Skilled		
Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs. 413	Rs. 12,390
Skilled		
Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 464	Rs. 13,920
Highly Skilled		
Jr. Engineer, Sanitary Inspector and Stenographer,	Rs. 553	Rs. 16,590

NOTE:-

An

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.


No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.04,2024

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.


(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

No. Shram(A)4-1/2024

NOTIFICATION

Dated Shimla-2, the

23.04, 2024.

17. Security Services

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Security Services" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Un-Skilled	Daily	Monthly
Helper and Watchman	Rs. 400	Rs. 12,000
Semi skilled		
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs. 413	Rs. 12,390
Skilled		
Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 464	Rs. 13,920
Highly Skilled		
Security Officer, Security Manager, Stenographer and Accountant.	Rs. 553	Rs. 16,590

NOTE:-

- (46)
1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
 2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
 3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
 4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
 5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
 6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
 7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Skilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi -skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.

23.04.2024

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.03.2024.

9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

57



(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

27.04.2024.

18. Temples and Religious Places/Dharamshalas

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Temples and Religious Places/Dharamshalas" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f. 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs	Rs
Peon, Masalchi, Office Boy and Beldar.	400 Daily 12,000 Monthly	371 Daily 11,130 Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	423 Daily 12,690 Monthly	413 Daily 12,390 Monthly
Skilled:	Rs.	Rs.
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit, Cook, Maulvi, Granthi, Pedri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk,	464 Daily 13,920 Monthly	427 Daily 12,810 Monthly

[Handwritten signature]

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan Singer, Stenographer, and Accountant.	483 Daily.	447 daily
	14,490 Monthly	13,410 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty
Secretary (Lab. Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh.


23.09.2024

No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.

6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(50)


(Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the
Government of Himachal Pradesh

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR EMPLOYMENT & O.P.

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-1/2024

Dated Shimla-2, the

23.04, 2024.

19. Workers Working in Toll Tax Barriers

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Workers Working in Toll Tax Barriers" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from 01.04.2024;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on 20-06-2024 wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable w.e.f. 01.04.2024;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment w.e.f 01.04.2024 as per recommendations of the said Committee as under:-

Category of employees	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Un-skilled Workers :-		
Peon, Office Boy and Masalchi.	Rs. 400	Rs. 12,000
Semi-skilled:-		
Helper Cook, Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard and Complaint Attendant.	Rs. 413 per day or	Rs. 12,390 per month
Skilled:-		
Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 464 per day or	Rs. 13,920 per month
Highly-Skilled:-		
Supervisor, Superintendent, Stenographer and Accountant.	Rs. 553 per day or	Rs. 16,590 per month

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:-

- (i) **Unskilled:** -- An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** -- A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** -- A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Priyanka Basu Ingty
 Secretary (Lab. & Emp.) to the
 Government of Himachal Pradesh.

23.09.2024

**No. Shram(A)4-1/2024 Dated Shimla-2. the
 Copy for information and necessary action to:-**

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. L&E(Lab.)M.W.A.C./2024 dated 17.08.2024.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.


 (Amar Singh)

Deputy Secretary (Lab.Emp.&O.P.) to the
 Government of Himachal Pradesh